न्यायालय ज्युडिशियल पहाड़ सिकंदरा

[स्थायी रूप से रक्षणीय]

फारम सं० ५६५ ।

[ बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित ]

Notice uplod
22-2-2018

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण ।

( देखें नियम १२० अभिलेख हस्तक १९११ )

SAR 5/13-14

.............सिविल..... विभाग

रजिस्टर सं०............................

सरस्वती देवी बनाम फूलमोन तिवारी

.......................... वर्ष .......................... के अधीन

.......................... अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख ..........................

| क्रम संख्या | कागज का वर्णन | किस तारीख को दाखिल किया गया | पन्नों की संख्या | स्टाम्पों का मूल्य | कागज की श्रेणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |

28-4-20
03/02/2021
17/3/21
9-06-2021
8/9/2021
28/10/21
22-12-2021
22/2/22
12/4/22
21/6/22
26/7/22
26/8/22
23/11/22
10/1/23
3.2.2023

10-1-18
7.2.18
14.3.18
18.4.18
30.5.18
11.7.18
9.1.19
13-3-19
19.6
7-8-19
25.9.19
15.1.20

25-11-16
19-12-16
19.12.16
16.1.17
13.2.17
22.3.17
17-4-17
17.5.17
12.6.17
12.7.17
16.8.17
13.9.17
18.10.17
29.11.17

आदेश–पत्रक

(देखे नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश फलक सं० ............ 2013 से ............ तक सरस्वती देवी
जिला–सिमडेगा, संख्या SAR 05 /2012-13
केस का प्रकार:– बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम फिलमोन तिर्की

| आदेश की कम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| -5-2013 | श्री सरस्वती देवी<br>पिता पति श्री सिबलुराम मंगल<br>साकिन मरारोमा थाना ठेठईटांगर<br>जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी फिलमोन तिर्की पिता स्व० लेव तिर्की<br><br>साकिन– मरारोमा थाना ठेठईटांगर<br>जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं। | |

| ग्राम | खाता सं0– | प्लॉट सं0 | रकबा |
|---|---|---|---|
| भवनाडीपा (मरारोमा) | 1<br>88 | 1494<br>1784 | 1-28<br>0-83 |
| | | 2 | 2-11 |

30-8-16
24-10-16
21-11-16

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 13-5-2013 को उपस्थापित करें।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सिमडेगा।

# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 5/2013–14
दिनांक...10.01.23.....

सरस्वती देवी
बनाम
फिलमोन तिर्की

## आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक सरस्वती देवी, पिता–विष्णु राम भगत, साकिन–मरारोमा, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी फिलमोन तिर्की, पिता–स्व0 लेव तिर्की, साकिन–मरारोमा, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–5/2013–14 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

| मौजा | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकबा |
|---|---|---|---|
| मरारोमा | 1 | 1494 | 1.28 एकड़ |
| | 88 | 1784 | 0.83 एकड़ |
| | | कुल– | 2.11 एकड़ |

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, टी0टांगर को इस न्यायालय के पत्रांक 115/विधि, दिनांक 02.05.2013, पत्रांक–403/विधि, दिनांक 16.09.2014, पत्रांक–262/विधि, दिनांक 20.07.2016 एवं पत्रांक–473/विधि, दिनांक 23.11.2016, 63/विधि, दिनांक 14.02.2017 एवं 149/विधि, दिनांक 17.04.2017 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, टी0टांगर के पत्रांक–214(ii), दिनांक 2905.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा–मरारोमा, थाना नं0–140, खाता नं0–1, प्लॉट नं0–1494, रकबा–1.28 एकड़ एवं खाता नं0–88, प्लॉट नं0–1784, रकबा 0.83 एकड़ भूमि पर जोतकोड़ आबाद कर खेती करता है। विपक्षी का दो खाता का दो प्लॉट कुल रकबा–2.11 एकड़ भूमि पर लगभग 30 वर्षो से दखल–कब्जा है। खाता नं0–1, प्लॉट नं0–1494, रकबा–1.28 एकड़ खतियानी रैयत जीरात मालिक नाम पाने वाला फतुआ गंझु वगै0 के नाम दर्ज है तथा खाता नं0–88, प्लॉट नं0–1784, रकबा–0.83 एकड़ भूमि गैरमजरूआ झारखण्ड सरकार दर्ज है। आवेदक का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है। पंजी–II रैयत खाता नं0–1 में सरस्वती देवी, पति–विष्णु भगत के नाम दर्ज है। केस नं0 रजिस्टर में दर्ज नहीं है। खाता नं0–88 गैरमजरूआ खास प्लॉट नं0–1784, रकबा–0.83 एकड़ विष्णु भगत, पिता–मनीराम भगत, पृष्ट सं0–120 में दर्ज है। वाद दर्ज नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 20.04.2022 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके।

*कृ0पृ0उ0*

CamScanner

ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–5/2013–14 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2023.01.18 14:25:49 +05:30
Location: 192.168.188.80

CamScanner